कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर, पिन-844102)
ईमेल: deovaishali.edn@gmail.com, deo-vaishali@bihar.gov.in

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

पत्रांक: ....1461......
दिनांक: ..../......./2026

सेवा में,

श्री रमाशंकर,
प्रधानाध्यापक,
उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहांगीरपुर पटेढ़ा,
प्रखंड- भगवानपुर, वैशाली।

विषयः- स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंग:- ई-शिक्षाकोष शिक्षक मासिक उपस्थिति रिपोर्ट, माह जुलाई 2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक उपस्थिति विवरणी की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि आपके द्वारा दिनांक 07.07.2026 एवं 13.07.2026 को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनधिकृत रूप से स्वयं को 'ऑन ड्यूटी' (कार्यालय कार्य) दर्ज किया गया है तथा आप बिना किसी पूर्व सूचना या सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के विद्यालय से अनुपस्थित रहे हैं।

एक प्रधानाध्यापक के रूप में आपका यह कृत्य घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना को दर्शाता है। शिक्षा विभाग के नियमों के आलोक में यह अत्यंत गंभीर एवं नियम-प्रतिकूल कृत्य है।

अतः इस अनधिकृत अनुपस्थिति एवं मनमाने कृत्य के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही, आपके इस कृत्य के दंडात्मक स्वरूप, आपके माह जुलाई 2026 के वेतन से 07 (सात) दिनों के वेतन की कटौती की जाती है।

विश्वासभाजन

13.7.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

13.7.26

ज्ञापांक: .....1461........ दिनांक: ..13/..7.../2026

प्रतिलिपि:- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.7.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

13.7.26